कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह (म.प्र.)

—:: आदेश ::—

कमांक– 382 /दो–11–17/71 दमोह, दिनांक 15 सितम्बर, 2025

कार्यालय आदेश कमांक 303/दो–11–17/1971 दमोह दिनांक 22.07.2025 के द्वारा इस स्थापना में पदस्थ तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त किये जाने के फलस्वरूप उनका वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

क.	दिनांक	वेतनमान	वेतन	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) श्री यश तिवारी सहायक ग्रेड–3 (नियुक्ति दिनांक 21.06.2022 दोपहर पूर्व)				
1	21.06.2022 (नियुक्ति)	19500–62000	—	कार्यालय आदेश क. 249 दमोह दि. 14.06.22 द्वारा सहा. ग्रेड–3 के पद वेतनमान 19500–62000 पर 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्त होने के फलस्वरूप दिनांक 21.06.22 को पदभार ग्रहण किया गया।
2	21.06.2022	19500–62000	13650	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र क. सी/तीन–13–1/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.19 अनुसार स्टायपेंड के अंतर्गत प्रथम वर्ष में मूल वेतन का 70 प्रतिशत अर्थात् 19500X70%= 13650 निर्धारित।
3	21.06.2023		15600	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र क. सी/तीन–13–1/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.19 अनुसार स्टायपेंड के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में मूल वेतन का 80 प्रतिशत अर्थात् 19500X80%= 15600 निर्धारित।
4	21.06.2024		17550	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र क. सी/तीन–13–1/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.19 अनुसार स्टायपेंड के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में मूल वेतन का 90 प्रतिशत अर्थात् 19500X90%= 17550 निर्धारित।
5	21.06.2025		19500	दिनांक 21.06.2025 को प्रारंभिक वेतन 100 प्रतिशत
(02) श्री कृष्णहरि यादव, भृत्य (पदोन्नति दिनांक 12.04.2023 दोपहर पूर्व)				
1	01.01.2023	15500–49000	18000	पूर्व से नियत वेतन
2	12.04.2023	16100–50900	18600	कार्यालय आदेश कमांक 27 दमोह दिनांक 18.01.2024 द्वारा नियत वेतन (कर्मचारी द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं)
3	01.01.2024		19200	नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि/परीवीक्षा अवधि समाप्त होने से नियमित वा.वे.वृ. स्वीकृत
4	01.01.2025		19800	नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि
				आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.01.2026

(03) श्री सतीश राय, सहायक ग्रेड–3 (नियुक्ति दिनांक 21.01.2022 दोपहर पूर्व)

1	21.01.2022 (नियुक्ति)	19500–62000	–	कार्यालय आदेश क. 77 दमोह दि. 20.01.22 द्वारा सहा. ग्रेड–3 के पद पर 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर नियुक्त होने के फलस्वरूप दिनांक 21.06.22 को पदभार ग्रहण किया गया।
2	21.01.2022	19500–62000	13650	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र क. सी/तीन–13–1/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.19 अनुसार स्टायपेंड के अंतर्गत प्रथम वर्ष में मूल वेतन का 70 प्रतिशत अर्थात् 19500X70%= 13650 निर्धारित।
3	21.01.2023		15600	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र क. सी/तीन–13–1/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.19 अनुसार स्टायपेंड के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में मूल वेतन का 80 प्रतिशत अर्थात् 19500X80%= 15600 निर्धारित।
4	21.01.2024		17550	म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल का पत्र क. सी/तीन–13–1/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.19 अनुसार स्टायपेंड के अंतर्गत द्वितीय वर्ष में मूल वेतन का 90 प्रतिशत अर्थात् 19500X90%= 17550 निर्धारित।
5	21.01.2025		19500	दिनांक 21.01.2025 को प्रारंभिक वेतन 100 प्रतिशत

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठां.क. 575 /दो–11–17/71 दमोह, दिनांक 15 सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि :–

1– संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा सागर
2– जिला कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, दमोह
3– संबंधित कर्मचारी श्री.....दमोह
4– लेखापाल/वेतन लिपिक/एच.आर.एम.एस. लिपिक, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)